

SP.20
4.2.13

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. no.....of 2013

Praveena
^ Pravina Kumari ...Petitioner

V

The State of Bihar & others....Respondents

Sub: Selection School Service

INDEX

Sl.No.	Annexure	Particuars	Pages
1.		Synopsis	
2.		An application under Article 226 of the Constitution of India	1 - 13
3.	Annexure-1	A true copy of the order dated 22-12-12	14 - 16
4.	Annexure-2	A photocopy of the relevant portion of the Application Register regarding petitioner	17
5.	Annexure-3	A photocopy of the relvant portion of the Counselling Register	18
6.	Annexure-4	A photocopy of the Merit List	19
7.	Annexure-5	A photocopy of the relevant portion of the Application Register regarding respondent no. 7	20
8.	Annexure-6	A photocopy of the representation dated 08-03-11	21
9.	Annexure-7	A photocopy of the Memo of Appeal	22-26
10.	Annexure-8 series	True copies of the Affidavits	27-30
11.		VAKALATNAMA.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No..... OF 2013

Praveena
^ Pravina Kumari ... Petitioner

V

The State of Bihar & others... Respondents

SYNOPSIS

In the instant application, the prayer of the petitioner is for quashing the order dated 22-12-12 passed by respondent no. 2, The Member, The District Education Selection Appellate Tribunal Madhepura in Appeal Case No. 117/2011 whereby and where under the aforesaid Appeal of the petitioner has been dismissed and further prayer of the petitioner is for commanding the respondent authorities to terminate the services of respondent no. 7 and to select and appoint the petitioner in her place as a Panchayat Teacher in Rahta Gram Panchayat.

List of Dates

2008- The Petitioner applied for the post of Panchayat Teacher in Rahta Gram Panchayat

- 29-12-10- Counselling was held pursuant to the applications received in the year 2008 for the post of Panchayat Teacher in Rahta Gram Panchayat
- 08-03-11- The petitioner had filed a representation dated 08-03-11 before respondent no. 5, the B.D.O., Kumarkhand inter alia stating in detail about the illegalities and irregularities committed by respondent no. 9 in not appointing her and appointing respondent no. 7 by inserting forged signature of respondent no. 10, the then Mukhiya namely Rekha Devi on the selection letter of respondent no. 7 in as much as said Rekha Devi used to stay outside the concerned village due to implication in some cases and also about creating forged and fabricated documents for selection of respondent no. 7 but no action was taken in this regard
- 18-08-11- The petitioner was constrained to file Appeal No. 117/2011 for the redressal of her grievances
- 22-12-12 - The impugned order was passed by which the aforesaid Appeal of the petitioner stood dismissed
- Hence this petition before this Hon'ble Court.

GOVT. OF BIHAR I
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
PATNA SCORE PATNA

COURT FEE

31.1.13
Authorization No. 2874



INDIA

STAMP DUTY

00000

Rs ≈ 0000285 ≈ 31.1.2013

375448

बिहार
JUDICIAL

BIHAR

3157 6814548

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No..... OF 2013

In the matter of an application under Article 226 of
the Constitution of India

A N D

In the matter of;

Praveena

^ ~~Pravina~~ Kumari Wife of Mansaf Kumar resident of Village-Rahta Ward no.

11 P.S.- Kumarkhand District- Madhepura ...Petitioner .

Versus

1. The State of Bihar
2. The Member, The District Teacher Employment Appellate Tribunal
Madhepura
3. The Education Secretary, Department of Human Resources New
Secretariat Patna
4. The District Magistrate Madhepura
5. The Block Development Officer Kumarkhand P.S.- Kumarkhand
District- Madhepura
6. The District Education Officer Madhepura
7. Manimala Kumari Wife of resident of

P.S.- District- Madhepura

8. The District Programme Officer (Establishment) Madhepura

9. The Panchayat Secretary Gram Panchayat Rahta Block-

Kumarkhand P.S.- Kumarkhand District- Madhepura

10. The Mukhiya Gram Panchayat Rahta Block- Kumarkhand P.S.-

Kumarkhand District- Madhepura

11. The member Panchayat Samiti Gram Panchayat Rahta Block-

Kumarkhand P.S.- Kumarkhand District- Madhepura

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf
of the above named petitioner.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That by this application, the petitioner is invoking the writ jurisdiction of this Hon'ble Court:-

(i) for the issuance of a rule in the nature of writ of certiorari for quashing the order dated 22-12-12 passed by respondent no. 2, The Member, The District Education Selection Appellate Tribunal Madhepura in Appeal Case

No. 117/2011 whereby and where under the aforesaid Appeal of the petitioner has been dismissed.

(ii) for the issuance of a rule in the nature of writ of Mandamus commanding the respondent authorities to terminate the services of respondent no. 7 and to select and appoint the petitioner in her place as a Panchayat Teacher in Rahta Gram Panchayat.

A true copy of the order dated 22-12-12 is annexed herewith and marked as Annexure-1 for identification.

2. That the substantial questions of law involved in the instant writ petition can briefly be enumerated as hereunder:-

(i) Whether respondent no. 2 has failed to appreciate that respondent no. 7 had not even applied for the post of Panchayat Teacher in the year 2008 in Rahta Gram Panchayat?

(ii) Whether respondent no. 2 has overlooked the fact that the name of respondent no. 7 was later on inserted at the last column of the Application register at serial no. 917 in place of one Pappu Kumar by penning through his name?

(iii) Whether respondent no. 2 has also failed to appreciate that the name of respondent no. 7 solely was inserted on a different page of Application register and even the column meant for the gender of other female candidates have been mentioned as Mahila in the said selection

register but in the case of respondent no. 7 only it has been mentioned as Stree and even in the column meant for class, she is shown to be a candidate of extremely backward class although being a Yadav she belongs to backward class?

(iv) Whether the impugned order has the effect of the infringement of the petitioner's fundamental right enshrined in Article 14 and 21 and constitutional right enshrined in Article 300A of the Constitution of India?

(v) Whether it was incumbent upon respondent no. 2 to call for the receipt slip for application of respondent no. 7 particularly when the specific allegation is to the effect that she had not applied for the post of Panchayat Teacher in the year 2008 in Rahata Panchayat?

(vi) Whether respondent no.2 has failed to appreciate that there was no question of participation by respondent no. 7 in the counseling held on 29-12-10 when she had not even applied for the concerned post?

(vii) Whether respondent no. 2 has also failed to appreciate that the name of respondent no. 7 was inserted by extending the column of the counseling register and even in the date of birth column also some interpolation is there which is visible even from a naked eye?

(viii) Whether respondent no. 2 has also overlooked the fact while adjudicating the instant Appeal that in the case of other candidates, the signatures were obtained on separate sheet of the counseling register but in the case of respondent no. 7, her signature was obtained on the sheet of the

petitioner in the counseling register just below the signature of the petitioner later on which is forged and fabricated to defeat the claim of the petitioner that respondent no. 7 had never participated in counseling?

(ix) Whether respondent no. 2 has also failed to appreciate that the name of respondent no. 7 has been inserted with different ink and different handwriting in the Merit list at the last column which clearly establishes the fact that she had not even applied for the concerned post in concerned panchayat?

(x) Whether the impugned order being virtually one-sided order is fit to be set aside?

3. That the petitioner is a citizen of India and the records of the case is lying within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the petitioner applied for the post of Panchayat Teacher in the Panchayat Rahta in the Block- Kumarkhand Dist.- Madhepura, which does find support from the Application Register and Counselling register wherein the name of the petitioner finds place at serial no. 669.

True copies of the relevant portion of the Application Register regarding petitioner and Counselling Register are annexed herewith and marked as Annexure-2 and 3 respectively for identification.

5. That, it is relevant to mention here that for the post of Panchayat Teacher in Rahta Gram Panchayat for the year 2008, counseling was held on 29-12-10 and the petitioner was assured of giving the selection letter after counseling in as much as the merit marks of the petitioner was calculated to be 53.44% and the female candidates who had obtained more marks than the petitioner were selected and still there was one post vacant..

6. That, since the name of the petitioner was there in the merit list, she was called for counseling on 29-12-10 and was assured of getting the selection letter but she was not selected and later on a separate merit list was prepared in which the name of respondent no. 7 was inserted in different ink and different handwriting and the aforesaid merit list is even undated and the original merit list was somehow managed to be dislocated by respondent no. 9.

A photocopy of the Merit List is annexed herewith and marked as Annexure-4 for identification.

7. That, the respondent no. 7 had not even applied for the aforesaid post which is evident from a bare perusal of the Application Register wherein the name of respondent no. 7 has been inserted later on at the last column of the Application register at serial no. 917 in place of one Pappu Kumar by penning through his name and the name of respondent no. 7 solely was inserted on a different page of Application register and even the column meant for the gender of other female candidates have been

mentioned as Mahila in the said selection register but in the case of respondent no. 7 only it has been mentioned as Stree and even in the column meant for class, she is shown to be a candidate of extremely backward class although being a Yadav she belongs to backward class.

A true copy of the relevant portion of the Application Register regarding respondent no. 7 is annexed herewith and marked as Annexure-5 for identification.

8. That further it appears from the extract of the counseling register contained in Annexure-3 that the name of respondent no. 7 was inserted by extending the column of the counseling register and even in the date of birth column also some interpolation is there which is visible even from a naked eye and in the case of other candidates, the signatures were obtained on separate sheet of the counseling register but in the case of respondent no. 7, her signature was obtained on the sheet of the petitioner in the counseling register just below the signature of the petitioner later on which is forged and fabricated to defeat the claim of the petitioner that respondent no. 7 had never participated in counseling

9. That it would not be out of place to mention here that the petitioner had filed a representation dated 08-03-11 before respondent no. 5, the B.D.O., Kumarkhand inter alia stating in detail about the illegalities and irregularities committed by respondent no. 9 in not appointing her and

appointing respondent no. 7 by inserting forged signature of respondent no. 10, the then Mukhiya namely Rekha Devi on the selection letter of respondent no. 7 in as much as said Rekha Devi used to stay outside the concerned village due to implication in some cases and also about creating forged and fabricated documents for selection of respondent no. 7 but no action was taken in this regard which constrained the petitioner to file Appeal No. 117/2011 which stood dismissed vide the impugned order.

True copies of the representation dated 08-03-11 and the Memo of Appeal are annexed herewith and marked as Annexure-6 and 7 respectively for identification.

10. That it would not be out of place to mention here that the then Mukhiya namely Rekha Devi and Member Panchayat Samiti namely Umesh Pandit have sworn affidavits to the effect that respondent no. 7 was never selected in their presence and they had not signed any paper regarding her selection or application or counseling of respondent no. 7 and the Merit List and other papers related to respondent no. 7 have been manufactured and fabricated by respondent no. 9 with some oblique purpose.

True copies of the Affidavits are annexed herewith and marked as Annexure-8 series for identification.

11. That the petitioner states and submits that respondent no. 2 has failed to appreciate that respondent no. 7 had not even applied for the post of Panchayat Teacher in the year 2008 in Rahta Gram Panchayat.

12. That the petitioner further states and submits that respondent no. 2 has overlooked the fact that the name of respondent no. 7 was later on inserted at the last column of the Application register at serial no. 917 in place of one Pappu Kumar by penning through his name.

13. That the petitioner also states and submits that respondent no. 2 has also failed to appreciate that the name of respondent no. 7 solely was inserted on a different page of Application register and even the column meant for the gender of other female candidates have been mentioned as Mahila in the said selection register but in the case of respondent no. 7 only it has been mentioned as Stree and even in the column meant for class, she is shown to be a candidate of extremely backward class although being a Yadav she belongs to backward class.

14. That the petitioner states and submits that the impugned order has the effect of the infringement of the petitioner's fundamental right enshrined in Article 14 and 21 and constitutional right enshrined in Article 300A of the Constitution of India.

15. That the petitioner also states and submits that it was incumbent upon respondent no. 2 to call for the receipt slip for application of respondent no. 7 particularly when the specific allegation is to the effect that

she had not applied for the post of Panchayat Teacher in the year 2008 in Rahata Panchayat.

16. That the petitioner further states and submits that respondent no.2 has failed to appreciate that there was no question of participation by respondent no. 7 in the counseling held on 29-12-10 when she had not even applied for the concerned post.

17. That the petitioner also states and submits that respondent no. 2 has also failed to appreciate that the name of respondent no. 7 was inserted by extending the column of the counseling register and even in the date of birth column also some interpolation is there which is visible even from a naked eye.

18. That the petitioner states and submits that respondent no. 2 has also overlooked the fact while adjudicating the instant Appeal that in the case of other candidates, the signatures were obtained on separate sheet of the counseling register but in the case of respondent no. 7, her signature was obtained on the sheet of the petitioner in the counseling register just below the signature of the petitioner later on which is forged and fabricated to defeat the claim of the petitioner that respondent no. 7 had never participated in counseling.

19. That the petitioner further states and submits that respondent no. 2 has also failed to appreciate that the name of respondent no. 7 has been inserted with different ink and different handwriting in the Merit list at the

last column which clearly establishes the fact that she had not even applied for the concerned post in concerned panchayat.

20. That the petitioner states and submits that the impugned order being virtually one-sided order is fit to be set aside.

21. That the petitioner has been running from pillar to post till date but the authorities are sitting tight over the matter and hence ther petition before ther Hon'ble Court.

22. That, therefore, it is expedient in the interest of justice that the relief sought for by the petitioner in para-1 of the petition may be granted in her favour or else the petitioner would suffer irreparable loss.

23. That, in the facts and circumstances stated hereinabove the petitioner has no other alternative remedy or equally efficacious remedy than to invoke the writ jurisdiction of this Hon'ble Court.

24. That the petitioner has not moved this Hon'ble Court earlier for the relief sought for in this petition.

It is, therefore, prayed that: -

- (i) That a rule NISI in the nature of writ of certiorari may be issued calling upon the respondents to show cause as to why the order dated 22-12-12 passed by respondent no. 2, The Member, The District Education Selection Appellate Tribunal Madhepura as

contained in Annexure-1 may not be quashed and after return of the rule and after hearing the parties concerned the said rule NISI may be made absolute.

- (ii) That further a rule NISI in the nature of writ of Mandamus may be issued calling upon the respondent authorities to show cause as to why they may not be commanded the respondent authorities not to terminate the services of respondent no. 7 and select petitioner on the post of Panchayat Teacher and after return of the rule and after hearing the parties concerned, the said rule NISI may be made absolute
- (iii) That any other Writ/Writs may be issued, Order/Orders may be passed, direction/directions may be given as Your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case
- (iv) That cost and incidentals to the proceeding may be awarded in favour of the petitioner.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

Praveena
I, ~~Pravina~~ Praveena Kumari aged about 30 years Wife of Mansaf Kumar resident of Village-Rahta Ward no. 11 P.S.- Kumarkhand District- Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows;

1. That I am the petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this petition which I thoroughly understood.
3. That the statements made in paragraphs nos. 3, 5 and 24 are true to my knowledge, those made in paragraphs nos. 1,4,5,6,7,8,9 and 10 are true to my information based on the records of the case and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the annexures are true/photo/typed copies of their respective originals.

Annexure-1

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा
अपील वाद संख्या- 117/2011



प्रवीणा कुमारी, पिता- कनकलाल यादव
ग्राम- रहटा, अंचल- कुमारखण्ड, जिला- मधेपुरा वादी
बनाम
मुखिया, पं० सचिव ग्राम पंचायत- रहटा एवं मणिमाला कुमारी प्रतिवादी

आदेश

22.12.12 1.

वादी ने यह अपील वर्ष 2008 में द्वितीय शिक्षक नियोजन में ग्राम पंचायत रहटा द्वारा इनके स्थान पर मणिमाला कुमारी के नियोजन के खिलाफ दायर किया है। वादी का आरोप है कि वे उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत शिक्षक में नियोजन हेतु आवेदन दिया था। ये बार-बार कौनसिलिंग में भाग लिया। अन्तिम कौनसिलिंग दिनांक- 29.12.10 को लिया गया जिसमें महिला अभ्यर्थी के रूप में सिर्फ वादी ने भाग लिया। अन्य कोई अभ्यर्थी ने भाग नहीं लिया था। पंचायत सचिव ने आश्वासन दिया कि 31.12.10 को नियोजन पत्र देंगे। लेकिन उनको नियोजन पत्र नहीं दिया। प्रतिवादी मणिमाला कुमारी को नियोजन पत्र दिया जबकि मणिमाला कुमारी पंचायत शिक्षक में नियोजन हेतु आवेदन नहीं दिया था। इनका आरोप है कि मुखिया के जाली हस्ताक्षर बनाकर इनका नियोजन किया है और कौनसिलिंग में पंजी में भी फेर बदल कर दिया है।

प्रतिवादी मणिमाला कुमारी का जबाब है कि वे पंचायत शिक्षक में नियोजन हेतु आवेदन दी थी और उनका आवेदन क्रमांक- 917/913 है और इनको अन्तर स्नातक में 46.33% अंक है। इनको विद्यालय चलो अभियान का अनुभव प्रमाण पत्र है जिसके लिए इनको 20% वेटेज है। इस तरह इनका (प्रतिवादी) का कुल मेधाअंक- 66.33% है। जबकि वादी को अन्तर स्नातक में 48.1 अंक है और वादी का मेधा अंक 53.44% है। इनका यह भी प्रतियुत्तर है कि वादी को कम अंक रहने के कारण उनका नियोजन नहीं हुआ। इनका यह भी कथन है कि मुखिया ने कार्यवाही पुस्तिका के प्रत्येक कार्यवाही पर हस्ताक्षर किया है मुखिया ने खुद किसी भी पदाधिकारी के यहाँ जाली हस्ताक्षर करने का आवेदन नहीं दिया है। नियोजन दिनांक- 29.12.10 को हुआ है अगर इस तरह की बात होती तो मुखिया सदस्य अपना-अपना आपत्ति किसी पदाधिकारी के यहाँ देती। जब वादी ने यह अपील दायर किया तब दिनांक- 02.06.12 को शपथ पत्र दिया है। अतः शपथ-पत्र मुखिया हारने के बाद अपने ग्रामीण को मदद करने की नियत से किया गया है। प्रतिवादी का कथन है कि अनारक्षित महिला सीट के लिए कौनसिलिंग में वे भाग ली थी और अपना हस्ताक्षर बनायी थी। इनको अधिक मेधा अंक रहने के कारण इनका नियोजन अनारक्षित



महिला सीट पर किया गया और दिनांक- 05.01.2011 से प्राथमिक विद्यालय सोनापुर में योगदान किया और आज तक कार्यरत हैं।


3. उभय पक्षों के बयान, तहरीर एवं दावा किये गए तथ्यों के आधार पर इस अपील के निर्णय हेतु निम्नांकित न्याय विन्दु गठित किया जाता है:-

- I. क्या वादी से प्रतिवादी का मेधाअंक ज्यादा है?
- II. क्या प्रतिवादी ने उक्त पंचायत में नियोजन हेतु आवेदन दी थी?
- III. क्या प्रतिवादी दिनांक- 29.12.10 को कौनसिलिंग में भाग ली थी?
- IV. क्या कौनसिलिंग रजिस्टर दिनांक- 29.12.10 को बदल दिया गया है?
- V. क्या कौनसिलिंग रजिस्टर पर मुखिया रेखा देवी का जाली हस्ताक्षर है?

सबसे पहले मैं न्याय विन्दु नं- I पर विवेचना करना आवश्यक समझता हूँ। वादी को मेधाअंक 53.44% है और प्रतिवादी को मेधा अंक अनुभव जोड़कर 66.33% है। अनुभव प्रमाण पत्र पदाधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया गया और सत्य पाया गया। इस तरह जहाँ तक मेधा का संबंध है प्रतिवादी को वादी से ज्यादा मेधाअंक है। अतः यह न्याय विन्दु प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

5. अब न्याय विन्दु नं- II पर अपना विवेचना करना चाहूँगा- वादी का कथन है कि प्रतिवादी ने पंचायत शिक्षक में नियोजन हेतु आवेदन नहीं दी थी और आवेदन पंजी में इनका नाम दूसरे अंक से जोड़ा गया है। इस संदर्भ में आवेदन पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि मणिमाला कुमारी का नाम आवेदन पंजी के क्रम संख्या- 917 पर है और आवेदन क्रमांक- 913 है। वादी प्रवीणा कुमारी का आवेदन पंजी क्रमांक- 673 है और आवेदन क्रमांक- 669 है। आवेदन पंजी के प्रत्येक पेज पर पंचायत सचिव का हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर है। प्रतिवादी का नाम दूसरे अंक से लिखा गया है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे बाद में चढ़ाया गया है। इसके अलावे मेधा सूची का अनुमोदन दिनांक- 01.12.2008 को किया गया है। जिसकी सम्पुष्टि कार्यवाही पुस्तिका की बैठक संख्या- 02, दिनांक- 01.12.2008 करता है। मेधा सूची के अवलोकन से पता चलता है कि क्रमांक- 15 पर मणिमाला कुमारी का नाम है। इस प्रस्ताव पर मुखिया एवं तीन अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर है। आपत्ति 16.12.08 तक मांगी गई थी वादी ने मेधा सूची के खिलाफ आपत्ति नहीं दिया था। उपर वर्णित तथ्यों के आधार पर पाया गया है कि प्रतिवादी ने पंचायत शिक्षक के लिए आवेदन दी थी। अतः यह न्यायविन्दु प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

6. न्याय विन्दु-III, IV एवं V एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए तीनों न्याय विन्दुओं पर एक साथ विवेचना किया जा रहा है। वादी का कथन है कि कौनसिलिंग पंजी को बदल दिया गया है। कौनसिलिंग पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि इसपर वादी प्रवीणा कुमारी एवं प्रतिवादी मणिमाला कुमारी का हस्ताक्षर है। अगर कौनसिलिंग पंजी बदला गया होता तो इसपर वादी प्रवीणा कुमारी का हस्ताक्षर नहीं



22/12/12

रहता इसलिए यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है कि कौनसिलिंग पंजी को बदला गया है। दोनों वादी एवं प्रतिवादी ने 29.12.10 को अनारक्षित महिला अभ्यर्थी के रूप में कौनसिलिंग में भाग लिया था।

अब यह प्रश्न है कि क्या कौनसिलिंग पंजी पर मुखिया ने हस्ताक्षर किया था या नहीं? इस संबंध में तत्कालीन मुखिया रेखा देवी का शपथ पत्र वादी ने दाखिल करवाया है। नियोजन के बाद मुखिया रेखा देवी चुनाव में मुखिया पद से हार गयीं हैं और वादी इनका ग्रामीण है इसलिए दबाव में आकर शपथ पत्र लिया जा सकता है। 12.06.12 को शपथ पत्र किया गया है। नियोजन के डेढ़ साल बाद यह शपथ पत्र किया गया है। इसके पहले मुखिया ने इस तरह का कहीं आपत्ति नहीं दिया है जो शपथ पत्र पर संदेह प्रकट करता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा- 01 के अनुधारा- 13 के अनुसार शपथ पत्र को साक्ष्य नहीं माना गया है। अगर आवेदन के साथ शपथ पत्र होता तो इनका दूसरा अर्थ लगता है। अतः यह आरोप भी वादी सिद्ध नहीं कर सकी है।

उपर विर्णित तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि अपील चलने योग्य नहीं है। अतः खारिज किया जाता है।



प्रमाणिकरण शुल्क

23
तुलन लिपिक
24/11/13

24/11/13

22/12/12
सदस्य

जिला शिक्षक नियोजन
अपीलीय प्राधिकार, मधुपुरा

Certified to be a true
Head Clerk
24-11-13
U/S 76 Act, 1 of 1872



प्राथमिक शिक्षक नियोजन पंजी - 2008

Annexure-2

प्राथमिक शिक्षक नियोजन पंजी - 2008

क्र. सं.	नाम	पता	विवरण	वर्ग	दिनांक	समय	शैक्षणिक	व्यक्तिगत	कुल	नियुक्ति	टिप्पणी
61647	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61648	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61649	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61650	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61651	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61652	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61653	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61654	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61655	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61656	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61657	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61658	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61659	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61660	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61661	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61662	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61663	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61664	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61665	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61666	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61667	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61668	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61669	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61670	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61671	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61672	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		
61673	कुंज	पुणे	पुणे	पुणे	14.12.81	60	63.66	63.66	63.66		

T/C-17

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी-2008

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी-2008

क्रमांक	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदक के पिता/पति का नाम					इन्टर प्रतिफल			प्रशिक्षण संस्थान का नाम		
647	643	सुधांशु कुमार सुमन	श्री यशोधर प्र० मंडल	पु०	14.3.81	स०	अ०पि०व०	63.66					
648	644	फरीदा खानुन	श्री मो०कौसर हुसैन	म०	6.3.86	स०	अ०पि०व०	50.58				नवचारी	
649	645	रुकमान प्रवीण	श्री मो० कौसर हुसैन अंसारी	म०	6.3.86	स०	अ०पि०व०	52.66					
650	646	प्रदीप कुमार	श्री शिव ना० महतो	पु०	1.2.75	स०	अ०पि०व०	45.67					
651	647	सुनीता कुमारी	श्रीवन्द किशोर साह	म०	2.4.76	स०	पि०व०	50.66	77.87		गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उत्तर प्रदेश		
652	648	रामानुग्रह कुमार	श्री देवनन्दन साह	पु०	25.10.88	स०	पि०व०	60.2					
653	649	सोनाली सिंह	श्री सुशील कुमारसिंह	म०	2.1.86	स०	सा०	59.6					
654	650	कुमारी अर्चना	श्री रमेश कु० सिंह	म०	19.3.75	स०	सा०	63.88				औपचारिक	
655	651	अब्दुल सईद अंसारी	श्री मो० अब्दुल मजीद	पु०	25.10.76	स०	अ०पि०व०	58.0					
656	652	शारदा कुमार	श्री राम लखन पासवान	म०	27.2.88	स०	अ०जा०	60.0					
67	653	सत्येन्द्र पासवान	श्री जय किशोर पासवान	पु०	5.1.85	स०	अ०जा०	58.11					
658	654	संजय कुमार	श्री परमानंद पासवान	म०	21.8.74	स०	अ०जा०	54.88					
659	655	शैलेश कुमार	श्री नागेश्वर पासवान	म०	18.10.84	स०	अ०जा०	60.00					
660	656	पूनम कुमारी	श्री राजेन्द्र पासवान	म०	2.7.74	स०	अ०जा०	45.66				औपचारिक	
661	657	सुनील कुमार	श्री ब्रह्मदेव मंडल	पु०	31.12.99	स०	अ०पि०व०	63.44					
662	658	सत्येन्द्र कुमार	स्व० सुभ ना० मंडल	पु०	5.1.79	स०	अ०पि०व०	71.11					
663	659	रंजीत कुमार	श्री देव ना० प्र०	पु०	1.5.87	स०	अ०पि०व०	58.08					
664	660	राजेन्द्र कुमार	श्री सत्यदेव शर्मा	पु०	8.10.84	स०	अ०पि०व०	37.44				लोक शि०	
665	661	रंजू कुमारी	श्री अश्विन्द कुमार	म०	12.10.86	स०	पि०व०	60.77					
666	662	योगेन्द्र शर्मा	श्री भागवत शर्मा	पु०	27.12.80	स०	अ०पि०व०	47.11				लोक शि०	
667	663	मनोज कुमार	श्री राजेन्द्र मंडल	पु०	3.2.84	स०	अ०पि०व०	66.33					
668	664	रीता कुमारी	श्री राजेन्द्र मंडल	म०	4.5.83	स०	अ०पि०व०	79.22	82.83		हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद		
669	665	समर कुमार	श्री जालेश्वर यादव	पु०	3.7.86	स०	पि०व०	54.66					
670	666	अमर कुमार	श्री जालेश्वर यादव	पु०	3.1.82	स०	पि०व०	64.44					
671	667	ओम प्रकाश यादव	श्री जगदीश यादव	पु०	10.7.83	स०	पि०व०	44.00					
672	668	मनशक कुमार	श्री अश्विनन्दन प्र० यादव	पु०	31.12.81	स०	पि०व०	65.1					
673	679/6	प्रवीण कुमारी	श्री कनक लाल यादव	म०	1.3.82	स०	पि०व०	53.44					

प्राथमिक शिक्षक नियोजन पंजी - 2008

Annexure 2

प्राथमिक शिक्षक नियोजन पंजी - 2008

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	शिक्षक का पता	शिक्षक का जन्म तिथि	शिक्षक का उच्च शिक्षा	शिक्षक का अनुभव	शिक्षक का वर्ग	शिक्षक का वेतन	शिक्षक का अन्य विवरण
6 647	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	14.9.81	B.A.	10	63.86		
6 648	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	6.2.82	B.A.	10	52.58x		
6 649	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	6.3.82	B.A.	10	52.66x		
6 650	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	1.2.75	B.A.	10	45.67x		
6 651	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	2.4.76	B.A.	10	52.66x		
6 652	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	28.10.88	B.A.	10	60.2x		
6 653	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	2.1.86	B.A.	10	59.6x		
6 654	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	12.7.75	B.A.	10	63.88		
6 655	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	25.10.76	B.A.	10	58.2x		
6 656	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	27.2.88	B.A.	10	60x		
6 657	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	5.1.85	B.A.	10	58.4x		
6 658	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	21.8.74	B.A.	10	52.88x		
6 659	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	18.10.84	B.A.	10	60x		
6 660	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	2.7.76	B.A.	10	45.66x		
6 661	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	3.12.83	B.A.	10	62.4x		
6 662	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	5.1.72	B.A.	10	71.11		
6 663	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	1.5.87	B.A.	10	58.8x		
6 664	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	8.10.84	B.A.	10	57.4x		
6 665	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	12.10.86	B.A.	10	60.77x		
6 666	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	22.12.80	B.A.	10	47.11		
6 667	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	3.2.84	B.A.	10	66.32x		
6 668	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	4.5.82	B.A.	10	79.22		
6 669	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	3.7.86	B.A.	10	51.62x		
6 670	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	3.1.82	B.A.	10	64.44x		
6 671	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	10.7.82	B.A.	10	44x		
6 672	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	3.12.81	B.A.	10	65.1x		
6 673	सुनील कुमार सुनार	सुनील कुमार सुनार	1.3.82	B.A.	10	52.4x		

18

25

TC-18

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी-2008

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी-2008

क्रमांक	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदक के पिता/पति का नाम																	
647	643	सुधाशु कुमार सुमन	श्री यशोधर प्र० मंडल	पु०	14.3.81	स०	अ०पि०ब०	63.66												
648	644	फरीदा खान	श्री मो०कौसर हुसैन	म०	6.3.86	स०	अ०पि०ब०	50.58												
649	645	रुकमान प्रवीण	श्री मो० कौसर हुसैन अंसारी	म०	6.3.86	स०	अ०पि०ब०	52.66												
650	646	प्रदीप कुमार	श्री शिव ना० महतो	पु०	1.2.75	स०	अ०पि०ब०	45.67												
651	647	सुनीता कुमारी	श्रीचन्द्र किशोर साह	म०	2.4.76	स०	पि०ब०	50.66	77.87											
652	648	रामानुग्रह कुमार	श्री देवनन्दन साह	पु०	25.10.88	स०	पि०ब०	60.2												
653	649	सोनाली सिंह	श्री सुशील कुमारसिंह	म०	2.1.86	स०	स०	59.6												
654	650	कुमारी अर्चना	श्री रमेश कु० सिंह	म०	19.3.75	स०	स०	63.88												
655	651	अब्दुल सईद अंसारी	श्री मो० अब्दुल मजीद	पु०	25.10.76	स०	अ०पि०ब०	58.0												
656	652	शारदा कुमार	श्री राम लखन पासवान	म०	27.2.88	स०	अ०ज०	60.0												
67	653	सतेन्द्र पासवान	श्री जय किशोर पासवान	पु०	5.1.85	स०	अ०ज०	58.11												
658	654	संजय कुमार	श्री परमानंद पासवान	म०	21.8.74	स०	अ०ज०	54.88												
659	655	शैलेश कुमार	श्री नागेश्वर पासवान	म०	18.10.84	स०	अ०ज०	60.00												
660	656	पूनम कुमारी	श्री राजेन्द्र पासवान	म०	2.7.74	स०	अ०ज०	45.66												
661	657	सुनील कुमार	श्री ब्रह्मदेव मंडल	पु०	31.12.99	स०	अ०पि०ब०	63.44												
662	658	सतेन्द्र कुमार	स्व० सुभ ना० मंडल	पु०	5.1.79	स०	अ०पि०ब०	71.11												
663	659	रंजीत कुमार	श्री देव ना० प्र०	पु०	1.5.87	स०	अ०पि०ब०	58.08												
664	660	गजेन्द्र कुमार	श्री सत्यदेव शर्मा	पु०	8.10.84	स०	अ०पि०ब०	37.44												
665	661	रंजू कुमारी	श्री अरविन्द कुमार	म०	12.10.86	स०	पि०ब०	60.77												
666	662	योगेन्द्र शर्मा	श्री भागवत शर्मा	पु०	27.12.80	स०	अ०पि०ब०	47.11												
667	663	मनोज कुमार	श्री गजेन्द्र मंडल	पु०	3.2.84	स०	अ०पि०ब०	66.33												
668	664	रीता कुमारी	श्री गजेन्द्र मंडल	म०	4.5.83	स०	अ०पि०ब०	79.22	82.83											
669	665	समर कुमार	श्री जालेश्वर यादव	पु०	3.7.86	स०	पि०ब०	54.66												
670	666	अमर कुमार	श्री जालेश्वर यादव	पु०	3.1.82	स०	पि०ब०	64.44												
671	667	ओम प्रकाश यादव	श्री जगदीश यादव	पु०	10.7.83	स०	पि०ब०	44.00												
672	668	मनशक कुमार	श्री अभिनंदन प्र० यादव	पु०	31.12.81	स०	पि०ब०	65.1												
673	679/6	प्रवीण कुमारी	श्री कनक लाल यादव	म०	1.3.82	स०	पि०ब०	53.44												
	69																			

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद

गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उत्तर प्रदेश

लोक शिक्ष

लोक शिक्ष

नवयारी

औपबधिक

औपबधिक

Annexure-4

श्री श्री राजीव गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विवरण
 कोटा - एम.डी.डी. मेंबर अर्थात् कोटा - एम.डी.डी.
 संस्था - कुमरखण्ड - कोटा - एम.डी.डी.

क्र.सं.	आवक का नाम	आवक के विवरण/पति का नाम	उत्पत्ति/पति का नाम	श्रेणी	प्रकार	प्रतिशत	प्रकार	प्रतिशत	आयु
1	809	अशोक भारती	श्री विजय कुमार	मं.	बिसय	75.9%	20%	95.08%	विद्यार्थी
2	898	पति का किराया	" सुधील कुमार	मं.	इन्टर	66%	20%	86%	विद्यार्थी
3	899	पति का किराया	" आनंद कुमार	मं.	इन्टर	63.88%	20%	83.66%	विद्यार्थी
4	658	कुमारी अर्चना	" रमेश कुमार सिंह	मं.	इन्टर	63.86%	20%	83.66%	विद्यार्थी
5	737	रजिस्ट्रार कुमारी	" रजिस्ट्रार	मं.	इन्टर	63.77%	20%	83.77%	विद्यार्थी
6	596	पति का	" रमेश चंद्र यादव	मं.	इन्टर	62.11%	20%	82.11%	विद्यार्थी
7	719	पति का किराया	" श्री अशोक कुमार	मं.	इन्टर	60.55%	20%	80.55%	विद्यार्थी
8	388	पति का किराया	" श्री अशोक कुमार	मं.	इन्टर	60.1%	20%	80.1%	विद्यार्थी
9	244	पति का किराया	" रजिस्ट्रार	मं.	इन्टर	60.1%	20%	80.1%	विद्यार्थी
10	773	पति का किराया	" रजिस्ट्रार	मं.	इन्टर	79.16%	20%	79.16%	विद्यार्थी
11	569	पति का किराया	" रजिस्ट्रार	मं.	इन्टर	78.44%	20%	78.44%	विद्यार्थी
12	900	पति का किराया	" रजिस्ट्रार	मं.	इन्टर	77.66%	20%	77.66%	विद्यार्थी
13	507	पति का किराया	" रजिस्ट्रार	मं.	इन्टर	77.78%	20%	77.78%	विद्यार्थी
14	715	पति का किराया	" रजिस्ट्रार	मं.	इन्टर	77.78%	20%	77.78%	विद्यार्थी
15	913	पति का किराया	" रजिस्ट्रार	मं.	इन्टर	66.33%	20%	66.33%	विद्यार्थी

प्रतिशत प्रतिशत

क्र.सं.	आवक का नाम	आवक के विवरण	उत्पत्ति/पति का नाम	श्रेणी	प्रकार	प्रतिशत	प्रकार	प्रतिशत	आयु
1	पति का किराया	पति का किराया	पति का किराया	मं.	इन्टर	80.7%	20%	80.7%	विद्यार्थी

श्री श्री राजीव गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विवरण
 कोटा - एम.डी.डी. मेंबर अर्थात् कोटा - एम.डी.डी.
 संस्था - कुमरखण्ड - कोटा - एम.डी.डी.

T/C - 19

द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन 2008 का मेधा सूची
कोटि-सामान्य मलिा अप्रशिक्षित पंचायत-रहटा
अंचल-कुमारखण्ड जिला-मधेपुरा

क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदक के पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	पुरुष/महिला	योग्यता	प्रशिक्षित	मेधा सूची प्रतिशत	20% भेस	मेधा प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	809	आशा भारती	श्री विजय कुमार	म०	विसारद	प्रशिक्षित	80.7%	20%	95.08%	विद्यार्थीन
2	898	प्रतिभा किरण	श्री सुशील कुमार	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	86%	वि० चलो केन्द्र
3	899	सरोज कुमारी	श्री अनिल कुमार	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	83.88%	वि० चलो केन्द्र
4	680	कुमारी अर्चना	श्री रमेश कुमार सिंह	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	83.88%	अनौपचारिक
5	737	खुशबू कुमार	श्री योगेन्द्र यादव	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	83.77%	वि० चलो केन्द्र
6	596	संगीता	श्री रमेश चन्द यादव	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	82.11%	नावाचारि शिक्षा
7	719	लभली कुमारी	श्री योगेन्द्र प्र० यादव	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	80.55%	बाल दीदी
8	388	नवीता कुमार	श्री राधेश्याम मंडल	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	80.1%	अनौपचारिक
9	244	अनिता कुमारी	श्री रत्नेश कुमार	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	80%	वि० चलो
10	773	सीमा भारती	श्री रंजन कुमार	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	79.16%	वि० चलो
11	589	रोजी कुमारी	श्री रामचन्द्र प्र० यादव	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	78.44%	वि० चलो
12	900	आरती कुमारी	श्री अमित चन्द	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	77.66%	वि० चलो
13	507	शांति कुमारी	श्री उमेश प्र० यादव	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	77.78%	अनौपचारिक
14	715	पूनम भारती	श्री धीरेन्द्र कुमार	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	77.78%	नावाचारि शिक्षा
15	913	मणिमाता कुमारी	श्री श्याम किशोर यादव	म०	इन्टर	प्रशिक्षित	80.7%	20%	63.33%	वि० चलो

प्रशिक्षित महिला

क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदक के पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	पुरुष/महिला	योग्यता	प्रतिशत	प्रशिक्षित	मेधा सूची प्रतिशत	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अभ्युक्ति
809	रेणु कुमारी	श्री नारायण मंडल	31.12.75	म०	10+2	81.5%	8.25%	80.7%	राष्ट्रीय प्रशिक्षण वि० सी	विद्यार्थीन

₹0/- प्रतिनियुक्त शिक्षक प्रतिनियुक्त सहायक शिक्षक मुख्य अधिकारी
₹0/- प० शि० समिति सदस्य पंचायत समिति मुख्या उच्च
₹0/- रहटा रहटा रहटा ग्राम प्रयायत रहटा

A-5

ग्रामिक शिक्षक नियोजन पंजी - 2008

Annexure-5

ग्रामिक शिक्षक नियोजन पंजी - 2008

20
22

क्र.सं.	नाम	पता	जन्म तिथि	शिक्षण	वर्ग	व्यक्तिगत	नियोजन
917	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
918	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
919	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
920	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
921	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
922	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
923	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
924	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
925	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
926	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
927	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
928	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
929	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53
930	श्री. सुनील कुमार	श्री. सुनील कुमार	23/11/1982	एम्.ए.	प्रो. गी. गी.	53.44	46.53

T/C-20

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी-2008

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी-2008

क्रमांक	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदक के पिता / पति का नाम							मैट्रिक	इन्टर प्रतिशत			प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शि० चलो	
917	913	मणिमाता कुमारी	श्याम किशोर यादव	स्त्री	23.11.87	सो	पि० जाति			53.44	53.44					

सेवा में,

11-0

Annexure-6

21

प्रखंड विकास पदाधिकारी (उ.क.उ) महादेव,
कुमारखंड

विषय - शिक्षक नियोजन में च्यांबली के संबंध में।
महादेव

सविनय निवेदन है कि मैं प्रवीणा कुमारी पति-मनसुफ कुमार
ग्राम नपा - रहटा वार्ड नं० 11, प्रखंड-कुमारखंड का मूल निवासी हूँ।
वर्ष 2008 में [77] सत्र हजार शिक्षक की बहाली निकला था उसमें मैं
भी आवेदन दी थी। 2009 में मेरा कांउसिलिंग भी हुआ इसके बाद प्रक्रिया
को सरकारी आदेश के द्वारा तत्काल बंद कर दिया गया। पुनः 2010 से
इस प्रक्रिया को चालू किया गया जिसके तहत दो महिला का कांउसिलिंग
किया गया। प्रथम स्थान पर महिला थी, वह कहीं अन्यत्र नियुक्त हो गयी
इसके बाद मेरा ही दूसरे स्थान पर नाम था। पुनः कांउसिलिंग 29-12-2010
को किया गया जिसमें दो पुरुष और एक महिला (मेरा) ही कांउसिलिंग
किया गया। रहटा पंचायत के पंचायत सचिव 'शमदेव पासवान' बोले
आफलोंगो का लोगदान 31-12-010 को करा दिया जायेगा जी कि नहीं
करवाये और कमी कागजातों का भेरीफिकेशन तो कमी खुली की बात पर
कर टाटवै रहे। मुझे दिनांक 28-01-011 को जानकारी मिली कि मेरे जगह
पर किसी अन्य महिला का चयन कर लिया गया है। उसके नियुक्ति पत्र
में मुखिया का फर्जी हस्ताक्षर है, यह फर्जी हस्ताक्षर कर कब नियुक्ती पत्र
इस धाम का किसी को अभी तक पता नहीं चला है, और 'शमदेव पासवान' ने
कांउसिलिंग वंजी का भी फेरबदल किया है। मेरे पंचायत का मुखिया 2250
देवी पर कोई में मामला लंबित है, इसलिए वह गांव में नहीं रहती है तो
ऐसी स्थिति में ग्राम-सेवक किये हस्ताक्षर करवाये इसकी भी खामती
किया जाय। 'शमदेव पासवान' का जब से यहाँ पर नियुक्ती हुई है तब से वह
च्यांबली करके एवं जनता को बरगलाने रहे है।

आज श्रीमान से नम्रनिवेदन है कि इस पर कर्मि
गठित कर जांच कर मुझे उचित न्याय देने की कृपा की जाय एवं ग्राम
सेवक पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाय।

Date
8-03-011

प्रार्थी
प्रवीणा कुमारी
पावती रसीद क्रमांक - 669
ग्राम नपा - रहटा वार्ड नं० - 11
थाना - कुमारखंड
जिला - मधेपुरा

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी (B.D.O.) महोदय,
कुमारखंड

विषय:- शिक्षक नियोजन में धांधली के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं प्रवीणा कुमारी पति-मनसफ कुमार ग्राम एवं पो0- रहटा वार्ड नं0 -11, प्रखंड-कुमारखंड का मूल निवासी हूँ। वर्ष 2008 में (70) सतर हजार शिक्षक की बहाली निकला था उसमें मैं भी आवेदन दी थी। 2009 में मेरा कांउसिलिंग भी हुआ इसके बाद प्रक्रिया को सरकारी आदेश के द्वारा तत्काल बंद कर दिया गया। पुनः 2010 से इस प्रक्रिया को चालू किया गया जिसके तहत दो महिला का कांउसिलिंग किया गया। प्रथम स्थान पर महिला थी, वह कहीं अन्यत्र नियुक्त हो गयी इसके बाद मेरा ही दूसरे स्थान पर नाम था। पुनः काउंसिलिंग 29.12.2010 को किया गया जिसमें दो पुरुष और एक महिला (मेरा) ही हाउंसिलिंग किया गया। रहटा पंचायत के पंचायत सचिव 'रामदेव पासवान' बोले आप लोगों का योगदान 31.12.010 को करा दिया जायेगा जो कि नहीं करवायें और कभी कागजातों का भेरीफिकेशन तो कभी छुट्टी की बात कह कर टालते रहें। मुझे दिनांक 28.01.011 को जानकारी मिली कि मेरे जगह पर किसी अन्य महिला का चयन कर लिया गया है। उसके नियुक्ति पत्र में मुखिया का फर्जी हस्ताक्षर है, यह फर्जी हस्ताक्षर कर कब नियुक्ती पत्र दियें इस बात का किसी को अभी तक पता नहीं चला है, और 'रामदेव पासवान' ने काउंसिलींग पंजी का भी फेरबदल किया है। मेरे पंचायत का मुखिया रेखा देवी पर कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए वह गांव में नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में ग्राम सेवक किससे हस्ताक्षर करवाये इसकी भी छानबीन किया जाय। 'रामदेव पासवान' का जब से यहाँ पर नियुक्ती हुई है तबसे वह धांधली करते एवं जनता को वरगलाते रहें है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि इस पर कमिटी गठित कर जांच कर मुझे उचित न्याय देने की कृपा की जाय एवं ग्राम सेवक पर उचित कानूनी कार्यवायी किया जाय।

प्रार्थी

दिनांक 08.03.11

प्रवीणा कुमार

पावती रसीद क्रमांक 669

ग्राम एवं पो0-रहटा वार्ड नं0-11

थाना-कुमारखंड

जिला-मधेपुरा।

Annexure-7

22

समक्ष में,

सदस्य

जिला शिक्षक नियोजन अपीनीय प्राधिकार,

मधेपुरा ।

अपील संख्या :- 117/2011

प्रधीपा कुमारी ----- अपीलकर्त्री

बनाम

मुखिया, ग्राम पंचायत रहटा तथा अन्य ----- उत्तरवादी

अपीलकर्त्री आवेदिका को ओर से अपने वाद

के समर्थन में लिखित अभिवचन समर्पित कर

सादर याचना है :-

h

§ 1§ यह कि वर्ष 2008 के द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन हेतु अपीलकर्त्री ने निर्धारित समय-सीमा के तहत रहटा ग्राम पंचायत के रिक्त पद के विरुद्ध प्रुखंड कार्यालय, कुभारखंड में आवेदन समर्पित की थी ।

§ 2§ यह कि नियमानुसार अपीलकर्त्री आवेदिका का अन्तर्वीक्षा [कांजीसिलिंग] नियोजन इकाई द्वारा किया गया, जिसमें आवेदिका शामिल हुई थी ।

§ 3§ यह कि उपर वर्णित अन्तर्वीक्षा के पश्चात् नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दिया गया तथा पुनः 2010 में यह प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

जिसमें अपीलार्थी आवेदिका भाग लेकर अपना अन्तर्वीक्षा दी ।

§4§ यह कि वीरपत अन्तर्वीक्षा में अपीलार्थी आवेदिका के अलावा सुश्रु कुमारी भी शामिल हुई थी, जिनकी अन्यत्र नियुक्ति हो गयी ।

§5§ यह कि दिनांक- 29 दिसम्बर 2018 को पुनः अन्तर्वीक्षा सम्पन्न हुआ, जिसमें अपीलार्थी आवेदिका अकेली थी । इसके बाद पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, रडटा राजदेव बालवान ने अपीलार्थी आवेदिका का योगदान कराने के बजाय टाल-मटोल करते रहे ।

§6§ यह कि अंतराल के पश्चात अपीलार्थी आवेदिका को पता चला कि उसके स्थान पर पंचायत सचिव ने फर्जी आधार पर गैर अभ्यर्थी मणिमाला कुमारी को नियोजित कर दिया है।

§7§ यह कि अपीलार्थी आवेदिका ने सभ्य अधिकारियों को इस आशय का शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के पश्चात इस प्राधिकार में अपील दायर की है।

§8§ यह कि अपीलार्थी आवेदिका ने सूचना के अधिकार के तहत मेधा सूची प्राप्त किया है, जिसकी छायाप्रति अभिलेख पर है। जबकि पंचायत सचिव के दाटा भी मेधा सूची, आवेदन पंजी तथा अन्य सामग्री समर्पित किया गया है । जिसमें स्वरूपता का सर्वथा अभाव है और भिन्नता दृष्टिकोण^क पर होता है ।

§9§ यह कि मेधा सूची में पंचायत शिक्षा समिति, सदस्य के रूप में अनिल पासवान का हस्ताक्षर है । जबकि कांजीतीला पंजी में बतौर पंचायत शिक्षा

समिति सदस्य के रूप में चन्द्रेश्वरी ठाकुर का हस्ताक्षर है। लिहाजा मेधा सूची बाद में तैयार किया गया है जिससे मणिमाला कुमारी का नियोजन अवैध परिणीत होता है।

§ 10§ यह कि कुमारी अर्चना के आवेदक क्रमांक-680 है जबकि अपीलकर्त्री प्रवीणा कुमारी को सूचना के अधिकार के तहत दिये गये मेधा सूची में कुमारी अर्चना का आवेदक क्रमांक- 685 में दर्शाया गया है इससे मेधा सूची बाद में तैयार किया हुआ प्रतीत होता है।

§ 11§ यह कि प्रशिक्षित महिला के मेधा सूची में रेणु कुमारी का मेधा सूची प्रतिशत 80.72 है। जबकि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त मेधा सूची में 80.75% लिखित है। इससे मेधा सूची में स्वरूपता प्रतीत नहीं होता है और नियोजन अवैध है।

§ 12§ यह कि मणिमाला कुमारी का नाम ओवर राइटिंग कर पूसाया गया है जो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त मेधा सूची में स्पष्ट दिखता है।

लिहाजा मणिमाला कुमारी की नियुक्ति अवैध है।

§ 13§ यह कि मेधा सूची में प्रतिनियुक्त शिक्षक के हस्ताक्षर में भिन्नता है, जो ^{संकेत} मेधा सूची का होना उजागर करता है।

✓ § 14§ यह कि मेधा सूची में उमेश पंडित पंचायत समिति सदस्य तथा रेखा देवी मुखिया, ग्राम पंचायत रहटा [कुमारगंज] का हस्ताक्षर फर्की है। इस

आशय का दोनों ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। लिहाजा मणिमाला कुमारी का नियोजन अवैध है।

§ 15§ यह कि दोनों मेधा सूची में कई भिन्नता है और रकपता का सर्वथा अभाव है।

§ 16§ यह कि आवेदन पंजी में क्रमांक- 912 में रमेश शर्मा का नाम दर्ज है। यहाँ तक काला इंक से लिखापट है और अंत में लघु हस्ताक्षर तथा तिथि अंकित कर विवरणी बंद कर दिया गया है। बाद में क्रमांक- 913 में मणिमाला कुमारी का नाम नीला इंक से लिखा हुआ है, इसमें जोपर राईटिंग भी है। लिखापट भी अलग है। लिहाजा मणिमाला कुमारी का नियोजन अवैध है।

§ 17§ यह कि आवेदन, पंजी का क्रमांक-913 मणिमाला कुमारी के पृष्ठ में उसका नाम अकेला है। लघु हस्ताक्षर में तिथि अंकित नहीं है। लिहाजा स्पष्ट होता है कि मणिमाला कुमारी का नाम बाद में घुसाया गया है।

§ 18§ यह कि कथित आवेदन पंजी में मणिमाला कुमारी का जन्म तिथि- 08.08.1980 अंकित था, जिसे काटकर 23.11.1987 लिखा गया है। कांजीर तालिका पंजी में भी इसी तथ्य को दुहराया गया है। यह लिपिकीय त्रुटि के बजाय बूट रचना है।

§ 19§ यह कि शिक्षा समिति के सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष के लिये होता है। मेधा सूची में अनिल पासवान का तथा कांजीर तालिका पंजी में चन्द्रदेव

ठाकुर का दिनांक- 29.12.2012 को शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में हस्ताक्षर है। यह निश्चित रूप से कूट रचना है।

§20§ यह कि प्रवीणा कुमारी ने फर्जी और कूट रचित कागजातों के आधार पर नियुक्त नियोजन के खिलाफ लगातार अधिकारियों को जावेदन दी है तथा दिनांक- 30 जनवरी 2011 को पंचायत व सचिव का घेराव कर आंदोलन किया गया था। तत्संबंधी समाचार हिन्दुस्तान 30 जनवरी 2011 को प्रकाशित हुआ था।

§21§ यह कि मणिमाला कुमारी के नियोजन को निरस्त कर प्रवीणा कुमारी को नियोजित करने का आदेश देना न्यायीहित में होगा।

अतः सादर याचना है कि वर्णित तथ्यों और तर्कों के आधार पर मणिमाला कुमारी के नियोजन को निरस्त करते हुए अपीलार्थी आवेदिका प्रवीणा कुमारी को नियोजित करने का आदेश निर्गत करना न्याय प्रकृति के अनुकूल होगा। अपीलार्थी आवेदिका इसकी सदा याचना करती रहेगी।

प्रवीणा कुमारी
अपीलार्थी

द्वारा

अधिवक्ता

19/12/12



27

समक्ष में,

श्रीमान् लेख्य प्रमाणक पदवी धरणी, मधेपुरा ।

शपथ-पत्र


मैं रेखा देवी, पति-स्व० हलधर यादव उम्र करीब 50 वर्ष
निवासी ग्राम-रहटा, धाना-कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा धर्म
वो ईमान से निम्नांकित बयान करती हूँ :-

01. यह कि मैं पंचायत रहटा, अंचल व धाना-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा के भूतपूर्व मुखिया हूँ ।
02. यह कि द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन वर्ष-2008 का अभ्यर्ची की नियोजन हेतु मेधा सूची एवं काउंसीलिंग सूची तैयार किया गया था ।
03. यह कि मेरे समक्ष में मणिमाला कुमारी, पिता-श्यामकिशोर यादव को छोड़कर प्रवीणा कुमारी पिता श्री कनकलाल यादव वगैरह का मेधा सूची तैयार किया गया एवं काउंसीलिंग में मणिमाला कुमारी को छोड़कर आवेदिका प्रवीणा कुमारी वगैरह उपस्थित हुई थी जिसके आधार पर दिनांक- 29.12.2010 को काउंसीलिंग पत्र अन्य सदस्यों की उपस्थिति में बनाया गया ।
04. यह कि जो वास्तविक में मेरे हस्ताक्षर द्वारा एवं अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा बनाया गया काउंसीलिंग पेपर नहीं है, बल्कि दिनांक-29.12.2010 का जो वर्तमान में काउंसीलिंग पत्र है, उस पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है जो कि पंचायत सचिव रामदेव पासवान द्वारा बनाया गया जाली फरेवी काउंसीलिंग सूची है।
05. यह कि वर्तमान में दाखिल मेधा सूची पर भी मेरा एवं सदस्यगणों का हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि यह पंचायत सचिव रामदेव पासवान द्वारा बनाया गया जाली फरेवी एवं मनगढ़न्त मेधा सूची है।
06. यही कभरे हस्ताक्षर से मणिमाला कुमारी पिता श्यामकिशोर यादव को नियोजन कुमारखण्ड प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, रहटा मध्य विद्यालय, सोनापुर में यों अन्य कहीं भी नहीं किया गया है।
07. यह कि पंचायत सचिव रामदेव पासवान द्वारा बनाया गया मेधा सूची एवं काउंसीलिंग पत्र जाली फरेवी है ।

....2

08. यह कि मेरे हस्ताक्षर से एवं अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से प्रवीणा कुमारी पिता श्री ककलाल यादव की नियोजन ग्राम पंचायत, रहटा अन्तर्गत मध्य विद्यालय सोनापुर में किया गया था जाने जिस कारण से पंचायत सचिव रामदेव पासवान नियोजन पंजी को उल्टापेपर कर बुसरा नियोजन पंजी तैयार किये हैं ।


मैं पुनः धर्म व ईमान से निम्नांकित बयान करती हूँ कि उपरोक्त लिखित सारी बातें सत्य व सही हैं । जिसे पढ़ व पढ़वाकर समझ-बूझ ली तथ्या सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दी ।



प्रवीणा कुमारी
शपथकर्ता

पहचानकर्ता
Ramesh Meher
अधिकृत 12/6/12

Who is identified by...
Advocate Madhepura. Solemnly affirm and declared before me: that the contents of this affidavit are correct
P. H. Yadav
NOTARY PUBLIC



रहित में,

श्रीमान् लेख्य प्रमाणक, पदा

मधेपुरा ।

प्रमथ-पत्र

मैं उमेश पीठत उम करीब 50 वर्ष पिता-स्व० जगदीश पीठत
निवासी ग्राम- रहटा, धाना-कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा ईमान
व धर्म से निम्नलिखित बयान करता हूँ :-

01. यह कि मैं ग्राम पंचायत, रहटा का पंचायत समिति सदस्य हूँ तथा द्वितीय चरण शिक्षण नियोजन वर्ष-2000 ई० में अभ्यर्ची नियोजन हेतु ग्राम पंचायत, रहटा, अपिल व धाना-कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, सोनापुर में शिक्षक नियोजन हेतु सदस्य रहा हूँ ।
02. यह कि द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन वर्ष-2008 का अभ्यर्ची की नियोजन हेतु मेधा सूची एवं काउंसीलिंग सूची तैयार किया गया था ।
03. यह कि मेरे समक्ष में मणिमाला कुमारी पिता श्यामकिशोर यादव को छोड़कर प्रवीणा कुमारी पिता श्री कनकलाल यादव वगैरह का मेधा सूची तैयार किया गया एवं काउंसीलिंग में मणिमाला कुमारी को छोड़कर आवेदिका प्रवीणा कुमारी वगैरह उपस्थित हुई थी, जिसके आधार पर दिनांक- 29.12.2010 को काउंसीलिंग पत्र अन्य सदस्यों को उपस्थिति में बनाया गया ।
04. यह कि जो वास्तविक में मेरे हस्ताक्षर द्वारा एवं अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा बनाया गया काउंसीलिंग पेपर नहीं है, बल्कि दिनांक- 29.12.2010 का जो वर्तमान में काउंसीलिंग पत्र है, उस पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है जो कि पंचायत सचिव रामदेव पासवान द्वारा बनाया गया जाली, फरेबी काउंसीलिंग सूची है।
05. यह कि वर्तमान में दाखिल मेधा सूची पर भी मेरा एवं अन्य सदस्यगणों का हस्ताक्षर नहीं है। बल्कि यह पंचायत सचिव रामदेव पासवान द्वारा बनाया गया जाली, फरेबी एवं मनगढ़ंत मेधा सूची है ।


06. यह कि मेरे हस्ताक्षर से मीणमाला कुमारी पिता श्यामकिशोर यादव का नियोजन कुमारखंड प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, रहटा मध्य विद्यालय, सोनापुर में या अन्य जहाँ भी नहीं किया गया है।

07. यह कि पंचायत सचिव रामदेव पासवान द्वारा बनाया गया मेधा सूची एवं काउंसीलिंग पत्र जाली, परेबी है।

08. यह कि मेरे हस्ताक्षर से एवं अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से प्रवीणा कुमारी पिता श्री कनकलाल यादव की नियोजन ग्राम पंचायत, रहटा अन्तर्गत मध्य विद्यालय सोनापुर में किया गया था न जाने किस कारण से पंचायत सचिव रामदेव पासवान नियोजन पंजी को उल्टफेर कर दूसरा नियोजन पंजी तैयार किये हैं।

मैं पुनः ईमान व धर्म से निम्नांकित बयान करता हूँ कि उपरोक्त लिखित सारी बातें सत्य व सही है, जिसे पढ़ कर समझ लिया तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

उमेश पंडित
आपथकर्ता



Subscribed and sworn to before me on this _____ day of _____ 2014
by _____
Advocate Madhepura. Solemnly affirms
and declared before me: That the
contents of this affidavit are correct

P. K. Yadav
BARY PUBLIC
MADHEPURA

पहचानकर्ता
अधिकता 1/16/14